

# प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (P.M.F.B.Y)

सुरक्षित किसान, देश का अभिमान

एचडीएफसी एगो जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के ज़रिए

**HDFC  
ERGO**

Take it easy!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) का लक्ष्य है, किसान बंधुओं को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के हमलों के कारण किसी अधिसूचित फसल की विफलता की दशा में बीमा संरक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान करना।

इस प्रकार यह योजना किसानों की आमदनी को एक स्थिरता दे रही है तथा उन्हें अपनी खेती को जारी रखने और खेती के नए-अनूठे व आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

## कौन इसका फ़ायदा ले सकता है?

सभी किसान, जिनमें साझे पर और बँटाई पर अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले भी शामिल हैं, इस संरक्षण के पात्र हैं। लेकिन किसानों का अधिसूचित/बीमित फसलों पर बीमायोग्य हित होना चाहिए। ऋणी किसानों के लिए यह बीमा संरक्षण लेना अनिवार्य है।

## क्या संरक्षित है?

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए संशोधित मार्गदर्शिका में वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों जिसमें मुख्य रूप से:-

- **बुआई/रोपाई के जोखिम से बचाव:** बीमित क्षेत्र को प्रतिकूल मौसम दशाओं के कारण बुआई / रोपाई के जोखिम से सुरक्षित रखा जाता है।
- **फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में:** राज्य सरकार उत्पादन अनुमानों तथा फसल बीमा दोनों के लिए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर पात्र वास्तविक उपज के आधार पर क्षति का बीमा देय होगा।
- **फसल कटाई/तुड़ाई के बाद की हानियाँ:** जिन फसलों को फसल कटाई के पश्चात खेत में फैलाना और सुखाना पड़ता है उन्हें आलवृष्टि, चक्रवाती बारिश और बेमौसम की बरसात की विशेष आपदाओं के विरुद्ध फसल कटाई के पश्चात केवल 2 हफ्तों की अधिकतम अवधि के लिए संरक्षण उपलब्ध है।
- **स्थानीय आपदा:** ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना तथा आकाशीय बिजली के कारण प्राकृतिक आग के पहचाने गए स्थानीय जोखिमों के घटित होने के फल स्वरूप हानि/क्षति।

## गैरऋणी कृषकों हेतु दस्तावेज:

- आधार कार्ड की प्रति।
- पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव पत्र।
- जमीन बँटाई का शपत्र पत्र (बँटाई होने पर)।
- नवीनतम खसरा/खतौनी की नकल।
- बैंक खाते की पास बुक की प्रति जिसमें (IFS Code) व खाता संख्या अंकित हो या खाते की रद्द (Cancelled) चेक।
- बुवाई प्रमाण पत्र, कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जारी।

## संरक्षण और दावों के लिए पूर्व-अपेक्षाएं:

- **आपदा का व्यापक फैलाव (मौसम की समाप्ति पर पैदावार के आधार पर):** 'एरिया एप्रोच' के आधार पर संचालित होता है और दावे की गणना राज्य सरकार द्वारा किए गए फसल कटाई प्रयोग के आधार पर की जाती है।

- **दावों का 'ऑन अकाउन्ट' भुगतान:** यह उस फसल के लिए लागू होता है जहां मौसम में अपेक्षित पैदावार <50% होने की संभावना होने पर यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा प्रॉक्सी इंडिकेटर्स जैसे कि बरसात के आंकड़े, मौसम संबंधी अन्य आंकड़े, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर क्षति की अधिसूचना के द्वारा किया जाता है। सामान्य फसल कटाई/तुड़ाई प्रारम्भ होने से 15 दिनों के पूर्व में प्रतिकूलता घटित होने पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। प्रावधान लागू होने पर अधिकतम देय राशि संभावित दावों की 25% के समान होती है।
- **बचाव/विफल बुआई/रोपाई/अंकुरण के दावे:** यह व्यापक घटना के कारण सामान्य बुआई क्षेत्र बीमा इकाई (ग्राम पंचायत) का 75% से अधिक फसल के प्रभावित होने के लिए है। यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा प्रॉक्सी इंडिकेटर्स जैसे कि बरसात के आंकड़े, मौसम संबंधी अन्य आंकड़े, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर क्षति की अधिसूचना के द्वारा लागू किया जाता है। बीमा होने से पूर्व प्रतिकूलता होने पर प्रावधान लागू होता है। प्रावधान नियत तिथि के भीतर लागू होंगे। दावों का भुगतान प्रावधान लागू होने तथा योजनानुसार सब्सिडी की प्राप्ति के बाद 30 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।
- **फसल कटाई/तुड़ाई के बाद की हानियाँ/स्थानीय जोखिम:** इसका संचालन अलग व्यक्तिगत ज़मीन के आधार पर किया जाता है। आपदा होने पर बीमाधारक द्वारा तुरन्त या 72 घंटों के अंदर सूचना दी जानी चाहिए। सूचना में बीमित फसल और प्रभावित क्षेत्र का विवरण होना चाहिए। साक्ष्य के रूप में पूरी तरह भरा हुआ दावा फॉर्म 7 दिनों के अंदर जमा कराया जाना चाहिए।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि एवं बीमित राशि का विवरण:

मौसम	जिला	अधिसूचित फसलें	बीमित राशि (प्रति हेक्टेयर रु. में)	किसान द्वारा देय प्रीमियम (रु./हेक्टेयर)	बीमा कराने की अंतिम तिथि
रबी 2019	खूंटी	गेहूं	55,611	834.17	31 दिसंबर 2019
		चना	42,961	644.42	
		सरसों	32,499	487.49	
		आलू	147,921	3771.99	
	रांची	गेहूं	60,146	902.19	
		चना	40,908	613.62	
		सरसों	31,064	465.96	
		आलू	163,186	4406.02	
	पलामू	गेहूं	44,753	671.30	
		चना	37,230	558.45	
		सरसों	21,873	328.10	
		आलू	112,279	4491.16	
	हजारीबाग	गेहूं	44,097	661.46	
		चना	32,645	489.68	
		सरसों	30,919	463.79	
		आलू	146,192	2923.84	
	गोड्डा	गेहूं	53,701	805.52	
		चना	41,385	620.78	
		सरसों	31,753	476.30	
		आलू	139,521	5511.08	
पाकुर	गेहूं	57,613	864.20		
	चना	46,953	704.30		
	सरसों	33,740	506.10		
	आलू	151,631	6065.24		

अंतिम तिथि: **31 दिसंबर 2019**

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिये कॉल करें:



**1800 2660 700**